झारखंड उच्च न्यायालय रांची
रिट याचिका संख्या (एल) 2960/ 2020

प्रहलाद साव, उम्र लगभग **48** वर्ष, पुत्र स्वर्गीय भोला साव, निवासी कोदवाडीह, पो.+ पी.एस.- महुआटार, जिला-बोकारो, झारखंड

…….याचिकाकर्ता

1. मैसर्स टी.टी.पी.एस. प्रधान नियोक्ता के माध्यम से ललपनिया, डाकघर-ललपनिया, थाना- ललपनिया, जिला-बोकारो
2. महाप्रबंधक- सह-मुख्य अभियंता, टी.टी.पी.एस. ललपनिया, डाकघर- ललपनिया, थाना-- ललपनिया, जिला-बोकारो

3. मेसर्स एखलाक खान, ठेकेदार, थाना-ललपनिया, थाना--ललपनिया, जिला-बोकारो

……. प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रंजन कुमार सिंह
उत्तरदाताओं के लिए वकील: श्री रोहित रंजन सिन्हा
श्री अनूप कुमार मेहतार।

<u>प्रस्तुत</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:-पक्षों को सुना।

2. इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेष रूप से उत्प्रेषण- लेख की प्रकृति में एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ इस मामले में पारित पुरस्कार को रद्द करने के लिए दायर की गई है । 2017 का संदर्भ केस नंबर 1 अंतर्गत दिनांक 30.11.2019 को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो द्वारा, जिसकी प्रतिलिपि इस रिट याचिका के परिशिष्ट 4 में रखी गई है, याचिकाकर्ता कार्यकर्ता को उत्तर दिया गया था।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(सी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उपयुक्त सरकार द्वारा निम्नलिखित संदर्भ दिया गया था:-

क्या गेट पास जारी नहीं करना और श्रमिक श्री प्रहलाद साव को उनके ठेकेदार मेसर्स एखलाक खान और प्रधान नियोक्ता, महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, टी टी पी एस, ललपनिया, बोकारो द्वारा काम करने से रोकना उचित है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?"

4. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता श्रमिक प्रहलाद साव को विपक्ष के ठेकेदार द्वारा रोजगार प्रदान किया गया था। पार्टी नं. 2 और 3, अर्थात् मेसर्स एखलाक खान द्वारा और मेसर्स एखलाक खान को टी.टी.पी.एस. ललपनिया द्वारा संविदात्मक कार्य प्रदान किया गया था। प्रहलाद साव ने जुलाई, 2008 से सितंबर, 2014 तक की अवधि के लिए काम

किया। पत्र क्रमांक 376 दिनांक 23.09.2014 द्वारा विपक्षी दल क्रमांक. 2- प्रबंधन ने प्रहलाद साव का गेट पास रद्द कर दिया. प्रहलाद साव और टी.टी.पी.एस., ललपनिया के के बीच मुकदमा चल रहा है। पार्टी 1 और 2 व विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष, जो प्रतिवादी हैं, इस रिट याचिका संख्या 1 एवं 2 में यह तर्क दिया गया कि रिट याचिकाकर्ता प्रहलाद साव को गेट पास जारी किया गया था, लेकिन बाद में प्रहलाद साव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर टीवीएनएल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और विरोध किया. पार्टी नं. 1 और 2 ने धमकी दी, प्रबंधन ने इलाके के गुंडा की मदद से और अपराधिक रिट याचिका की धारा 144 के तहत मामला स्थापित किया और प्रबंधन ने याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ भूमि के अतिक्रमण का मामला दायर किया और याचिकाकर्ता ने टाइटल सूट नंबर 79/2013 दायर किया। तेनुघाट में विद्वान उप न्यायाधीश, बेरमो की अदालत में प्रबंधन के खिलाफ 2013 की संख्या 79 और याचिकाकर्ता के गेट पास को रद्द करने से पहले, प्रबंधन ने कई बार ठेकेदार से अनुरोध किया, जिसने याचिकाकर्ता- प्रहलाद साव को याचिकाकर्ता को टीवीएनएल की जमीन नहीं हड़पने के लिए निर्देश देने के लिए नियुक्त किया था। उसके बावजूद भी ठेकेदार-विपक्ष. पक्ष- प्रतिवादी. संख्या 3, याचिकाकर्ता ने प्रबंधन के अनुरोध की कोई नहीं परवाह की. इसलिए, प्रबंधन ने 23.09.2014 को याचिकाकर्ता का गेट पास रद्द कर दिया और विपक्षी होने के नाते याचिकाकर्ता को काम पर रखने वाले ठेकेदार मेसर्स एखलाक खान, पक्ष- प्रतिवादी सं. 3 को सूचित कर दिया।, याचिकाकर्ता कार्यकर्ता ने प्रतिवादी-प्रतिपक्ष संख्या 1 और 2 द्वारा आवंटित आवासीय आवास में रहने का दावा किया कि प्रबंधन द्वारा उसके खिलाफ स्थापित किए गए मामले झूठे हैं। श्रम न्यायालय ने निम्नलिखित दो मुद्दे तय किये:- क्या प्रहलाद साव के पक्ष में उनके ठेकेदार मेसर्स एखलाक खान और प्रमुख नियोक्ता, महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता टीटीपीएस, ललपनिया द्वारा गेट पास जारी नहीं करना उचित है? यदि उक्त कार्रवाई उचित नहीं है तो कर्मकार किस राहत का हकदार है?

5. अपने मामले के समर्थन में, प्रबंधन ने एक गवाह की जांच की, दस्तावेजों को साबित किया, जिसे प्रदर्शनी में एम 1 से एम के रूप में चिह्नित किया गया है

6. प्रतिवादी की ओर से - विपक्ष. पार्टी नं. 3, ठेकेदार, जिसने स्वयं गवाह संख्या के रूप में जांच की और 1 और दस्तावेजों की कुछ फोटोकॉपी साबित की।

रिट याचिकाकर्ता की ओर से, याचिकाकर्ता सहित तीन गवाहों की जांच की गई और उन्होंने दस्तावेजों को भी साबित किया, जिन्हें डब्ल्यू 1 से डब्ल्यू 9 के रूप में चिह्नित किया गया है। विद्वान न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद माना कि यद्यपि कार्यकर्ता के लिए अपने तर्क को साबित करने के लिए प्रासंगिक सामग्री का उत्पादन करना आवश्यक था, वह वास्तव में विपक्ष के तहत काम कर रहा था। पार्टी नं. 2- टीटीपीएस, लालपनिया मुख्य नियोक्ता होने के नाते, रिट याचिकाकर्ता कामगार ने अपनी जिरह में कहा कि उसने ठेकेदार के अधीन 8- 9 साल तक काम

किया और उसे उस अवधि की राशि का भुगतान किया गया था और उसने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया। उनकी मजदूरी का भुगतान मेसर्स एखलाक खान - विपरीत पक्ष संख्या 3 द्वारा किया गया था।

7. श्रम न्यायालय ने महाप्रबंधक (ओएसडी), बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनांदगांव बनाम भरत लाल और अन्य. के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जो2011 में रिपोर्ट की गई (1) एससीसी 635,में अन्य बातों के साथ-साथ माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छी तरह से पता लगाने के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण पाया कि कि क्या ठेका मजदूर मुख्य नियोक्ता के प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं

(i) क्या ठेकेदार के बजाय मुख्य नियोक्ता वेतन का भुगतान करता है? और

(ii) क्या मुख्य नियोक्ता कर्मचारी के काम को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है?

8. विद्वान श्रम न्यायालय ने बलवंत राय सलूजा और अन्य बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। 2014 (9) एससीसी 407 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता- कर्मचारी संबंध स्थापित करने के लिए विचार करने के लिए प्रासंगिक कारकों को निम्नानुसार निर्धारित किया: -

(i) कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है,

(ii) वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान कौन करता है,

(iii) बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है,

(iv) अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन कर सकता है

(v) क्या सेवा में निरंतरता है, और

(vi) नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सीमा अर्थात क्या पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण मौजूद है।

9. विद्वान श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी - विपक्ष पार्टी नंबर 1 और 2- प्रबंधन के बीच भूमि के संबंध में मुकदमेबाजी की श्रृंखला पर भी विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता कार्यकर्ता, प्रहलाद साव को विपक्ष द्वारा कभी नियुक्त नहीं किया गया था। पार्टी नंबर 1 और 2 यानि टीटीपीएस, लालपनिया ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता कामगार, प्रहलाद साव, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एफ) के अनुपालन की सुरक्षा का हकदार नहीं है, इससे पहले उसका गेट पास रद्द कर दिया गया था। प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विपक्षी द्वारा प्रहलाद के पक्ष में गेट पास जारी किया गया। पक्ष- प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को प्रबंधन ने उचित ठहराया और मुद्दा संख्या का निर्णय लिया। कर्मचारी के खिलाफ यह मानते हुए प्रबंधन ने 1 प्रबंधन के पक्ष में और परिणामस्वरूप, अंक संख्या 2 का भी उत्तर दिया कि कर्मचारी किसी भी तरह की राहत पाने का

हकदार नहीं है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रबंधन के बीच भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी पर विचार करके अवैधता की है, हालांकि यह याचिकाकर्ता और विपक्षी से संबंधित मुद्दा नहीं था। पक्ष-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 और आगे ने प्रतिवादी का काम करने से रोकने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को नहीं अपनाकर घोर अवैधता की है। जैसा कि आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्ष द्वारा दायर जवाब हलफनामे में है। पक्ष-प्रतिवादी सं. 3-ठेकेदार, मेसर्स एखलाक खान ने तर्क दिया है कि यदि याचिकाकर्ता संयंत्र के बाहर काम करने के लिए सहमत है, जहां गेट पास की आवश्यकता नहीं है, ठेकेदार अभी भी संयंत्र के बाहर रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार है, इसलिए, विरोध पार्टी नं. 3 को याचिकाकर्ता को संयंत्र के बाहर काम करने के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता इसके लिए तैयार है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका में की गई प्रार्थना को अनुमति दी जाए।

11.. प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील दूसरी ओर, 1 और 2, संदर्भ मामले संख्या में पारित पुरस्कार को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हैं। 2017 का 01 दिनांक 30.11.2019 को झुके हुए पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित किया गया, और प्रस्तुत किया गया कि इस रिट याचिका में लगाया गया निर्णय, तथ्यों की शुद्ध खोज पर आधारित है, जो किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। सैयद याकूब बनाम के.एस. के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए राधाकृष्णन और अन्य ने एआईआर 1964 एससी 477 में रिपोर्ट की, जिसका पैरा 7 इस प्रकार है:-

> "7.कला के तहत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमा के बारे में प्रश्न 226 पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सर्टिओरारी की रिट जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहां अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र या इससे अधिक के आदेश पारित किए जाते हैं, या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप . इसी तरह एक रिट भी जारी की जा सकती है, जहां उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, वह आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार पर्यवेक्षी है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय पर कार्रवाई करने का हकदार नहीं है। सबूतों की सराहना के परिणामस्वरूप अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पहुंचे तथ्य के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला या पूछताछ नहीं जा सकता है। कानून की कोई त्रुटि जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है, उसे रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया गया है कि उक्त निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने में, ट्रिब्यूनल ने

गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था और विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया। इसी प्रकार, यदि तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित है, तो इसे कानून की त्रुटि माना जाएगा जिसे सर्टिओरारी की रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को सर्टिओरीरी रिट की कार्यवाही में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि एस सी 480 के समक्ष पेश किए गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य ट्रिब्यूनल थे। विवादित निष्कर्ष को कायम रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त किसी बिंदु पर साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान ट्रिब्यूनल के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर है, और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। इन सीमाओं के भीतर ही उच्च न्यायालयों को उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए कला 226 के तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार का वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है (हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक, 1955-1 एससीआर 1104: ((एस) एआईआर 1955 एससी के अनुसार) 233): नागेंद्रनाथ बनाम कॉमर. ऑफ हिल्स डिवीजन, 1958 एससीआर 1240:(एआईआर 1958 एससी 398) और कौशल्या देवी बनाम बचित्तर सिंह, एआईआर 1960 एससी 1168"

पार्टी संख्या 1 और 2, विद्वान वकील या विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, कि साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों को दोबारा नहीं खोला जा सकता है या रिट कार्यवाही में पूछताछ नहीं की जा सकती है और यह कानून की एक त्रुटि है जो स्पष्ट है रिकॉर्ड के प्रथम दृष्टया, इसे रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं है, चाहे यह कितना भी गंभीर क्यों न हो, ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, सर्टिओरीरी की रिट जारी की जा सकती है यह दिखाया गया है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करने में, विद्वान न्यायाधिकरण ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था, जिसने विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया है या, यदि कोई तथ्य कोई सबूत पर आधारित नहीं है, तो उस पर विचार किया जाएगा। कानून की एक त्रुटि के रूप में जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि श्रम न्यायालय द्वारा किसी भी अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया गया है या किसी स्वीकार्य साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया है, न ही यह याचिकाकर्ता का मामला है कि निर्णय बिना किसी सबूत पर आधारित है, इसलिए इस रिट याचिका में श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

12. इसे अगली बार प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील द्वारा 1 और 2 याचिकाकर्ता के लिए प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता पुरस्कार में किसी भी विकृति, या विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा की गई कानून की किसी भी त्रुटि को इंगित करने में बुरी तरह विफल रहा है और किसी भी गेट पास के साथ जारी किए जाने का कोई अधिकार नहीं दे सका, इसलिए, प्रबंधन अपने परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है - विपक्ष पार्टी नं. 1 2- प्रबंधन द्वारा ठेकेदार के अधीन काम करने वाले रिट याचिकाकर्ता को उसके आचरण को देखते हुए पास जारी नहीं करना, प्रबंधन के हितों के लिए हानिकारक है, जिसमें असामाजिक तत्वों की मदद से प्रबंधन को धमकी देना और और सहारा लेना शामिल है।

14. बार में की गई दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस अदालत ने पाया कि यह कानूनों का स्थापित सिद्धांत है जिसका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। भारत, सैयद याकूब बनाम के.एस. के मामले में राधाकृष्णन और अन्य ने एआईआर 1964 एससी 477 (सुप्रा) में बताया, एक रिट अदालत श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप कर सकती है।

सर्टिओरारी की रिट जारी करने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब, केवल निचली अदालत या न्यायाधिकरण ने, किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार न करके या किसी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करके, जो अस्वीकार्य है, या बिना किसी सबूत के निष्कर्षों के आधार पर, या उसके पास कोई सबूत नहीं है, विकृति का कार्य किया है। अधिकार क्षेत्र में, या इसने कानून संबंधी कोई त्रुटि की है, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है।

15. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, क्योंकि यह याचिकाकर्ता का मामला भी नहीं है न कि श्रम न्यायालय द्वारा की गई कोई कानूनी त्रुटि है या कोई विकृति है। लेकिन सभी याचिकाकर्ता, जो आंदोलन कर सकते हैं, वह यह है कि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड में साक्ष्य की सराहना में कुछ त्रुटि है। निर्विवाद तथ्य यह है कि विपक्ष पार्टी - हमारा प्रतिवादी 1 और 2- प्रबंधन को अपने परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार है। यह निर्विवाद तथ्य है कि विपक्ष के प्रबंधन हमारी पार्टी. 1 और 2 और रिट याचिकाकर्ता के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। । इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, यदि प्रबंधन ने रिट याचिकाकर्ता को गेट पास जारी करने से इनकार करके प्रवेश से इनकार कर दिया है, तो इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

16. इस पृष्ठभूमि में, इस अदालत को संदर्भ मामले संख्या 2017 का 01 दिनांक 30.11.2019 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिलती है।

17. तदनुसार, यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाती है।

(**अनिल कुमार चौधरी**, **न्यायाधीश**.)

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 6 फरवरी 2024

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।